प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला **जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर** वर्ष **2022** प्र0इ0रि0 सं. 43/22 दिनांक 15/2/22

2. (I) अधिनियम ...**पी0सी0 एक्ट 1988 व 2018**..... धारायें. 13(1)(ई)सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा धारा 13(1)(बी)सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम एक्ट

   (II) * अधिनियम ...भा0द0स0 ... . धारायें .....

   (III) * अधिनियम ..... धारायें .....

   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 305 समय 1.45 P.M.

   (ब) अपराध घटने का दिन ..... समय

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – . . .. समय– .. . पी.एम.

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक अपराध संख्या 300 / 2021

5. घटनास्थलः– –

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– –

(ब) पता– विला नम्बर 336, साउथ एक्स टोंक रोड नियर रिंग रोड शिवदासपुरा जयपुर तत्कालीन क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी भरतपुर बीट संख्या..... जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–

   (अ) नाम :– प्रकरण संख्या 300 / 2021 में हुई खाना तलाशी में प्राप्त सूचना के आधार पर,

   (ब) पिता / पति का नाम –

   (स) जन्म तिथी / वर्ष –

   (द) राष्ट्रीयता .....भारतीय.....

   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .
   जारी होने की जगह .....

   (र) व्यवसाय– –

   (ल) पता–

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –

   1 श्री **हसंराम कसाना (एचआर कसाना)** पुत्र श्री जयमल कसाना निवासी– प्लाट नं. 06, दुर्गा विहार, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर, विला नम्बर 36, साउथ एक्स टोंक रोड नियर रिंग रोड शिवदासपुरा जयपुर तत्कालीन क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी भरतपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.... कोई नहीं.

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....

11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

हालात निवेदन है कि दिनांक 29.07.2021 को श्री परमेश्वर लाल, तत्कालीन उप अधीक्षक पुलिस, भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर द्वारा विश्वसत सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर श्री एचआर कसाना, तत्कालीन प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, भरतपुर, राजस्थान के कार्यालय की आकस्मिक चैकिंग ली जाकर आरोपी श्री हसंराम कसाना (एचआर कसाना) के कब्जे से

1,50,000/–की रिश्वती राशि बरामद कर ब्यूरो मुख्यालय पर उक्त आरोपी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 300/2021 दर्ज करवाया गया। उक्त आकस्मिक चैंकिग के क्रम में आरोपी श्री हसंराम कसाना (एचआर कसाना) के निवास स्थान विला नम्बर 36, साउथ एक्स, टोंक रोड़, नियर रिंग रोड़, शिवदासपुरा जयपुर की खाना तलाशी श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस, भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय जयपुर द्वारा ली गई। आरोपी श्री हसंराम कसाना (एचआर कसाना), तत्कालीन क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, भरतपुर के निवास स्थान की खाना तलाशी के दौरान प्रॉपर्टी दस्तावेज, एग्रीमेन्ट सम्बंधी दस्तावेज, व्यक्तियों को राशि उधार दिये जाने के सम्बंध में सादा कागजों/शपथ पत्रों आदि से सम्बंधित दस्तावेजात तथा विभिन्न व्यक्तियों को उधार दिये जाने पर उनसे बातैर सिक्यूरिटी पेटे लिये गये विभिन्न बैंकों के अपने नाम से लिये हुये चैक्स/इकरारनामा से सम्बंधित दस्तावेजात मिले, उनको गहनता से अवलोकन कर सम्बंधित बैंक/विभाग आदि से रिपोर्ट तलब कर एवं आरोपी श्री हसंराम कसाना (एचआर कसाना) द्वारा आहरित वेतन सम्बंधित रिपोर्ट प्राप्त कर जांच की गई।

जांच के दौरान आरोपित के विभाग राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर से प्राप्त सूचना से पाया गया कि आरोपित अधिकारी दिनांक 21.08.1991 को जुनियर इंजिनीयर के पद पर पदस्थापित हुआ तथा उसके बाद लगातार विभाग में ही कार्यरत रहा है। दिनांक 29.07.2021 को आरोपित अधिकारी उक्त विभाग में क्षैत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, भरतपुर के पद पर पदस्थापित होना पाया गया।

आरोपी के निवास स्थान पर मिले दस्तावेज के आधार पर आरोपी अधिकारी द्वारा प्राप्त परिसम्पतियों/निवेश/खर्चो इत्यादि बाबत अब तक निम्न प्रकार वस्तुस्थिति प्रकट हुई है:–

1:– ज्ञात स्त्रोतो से अर्जित आय

क्रम संख्या	ज्ञात स्त्रोतो से अर्जित आय	अनुमानित लागत/आय
1	आरोपित की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक 21.08.1991 से दिनांक जुलाई 2021 तक वेतन में से राज्य बीमा, जीपीएफ, आरपीएमएफ, आयकर एवं अन्य कटोतियों के बाद वेतन से प्राप्त शुद्व आय 12,98,151/–रूपये की आय मद में गणना की जाती है।	11461156
2	आरोपित द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, शाखा आरएसीपीसी, जयपुर से 25.20 लाख रूपये का एजुकेशन लॉन लिया गया है। उक्त राशि आय में माना जाना उचित है।	2520000
3	आरोपित द्वारा वर्ष 2020 के वार्षिक कार्य मुल्यांकन में अपनी अलग–अलग परिसम्पतियों से वार्षिक आय क्रमशः 10,000+35,000+40,000+6000 रूपये दर्शाई गई है। जिसमें से 10,000/– रूपये अपने पिताजी के नाम भूखण्ड की दर्शाई गई है। जिसे उक्त आय में से कम करने पर आरोपित को कुल आय 81,000/– रूपये प्राप्त होना पाया गया है। जिसकी गणना आरोपित की आय में की जाती है।	81000
4	आरोपित द्वारा वर्ष 2021 के विभागीय सम्पति विवरण में अपनी परिसम्पतियो से कुल 5,75,000/– रूपये प्राप्त होना दर्शाया गया है। चूंकि आरोपित द्वारा अपने आयकर में अपनी परिसम्पतियों से आय को दर्शाया नहीं है। इसलिये उक्त आय में से आरोपी के मकानों से प्राप्त आय को अलग किया जाकर आरोपी को कृषि से प्राप्त आय की गणना आरोपी की शुद्ध आय में की जाती है जो कुल 5,20,000/– रूपये प्राप्त होना ज्ञात हुआ है। जो आरोपी के वर्ष 2021 के सम्पति विवरण से स्पष्ट है।	5,20,000
	योग	**1,45,82,156**

2:– खर्चा

क्रम संख्या	खर्चा	अनुमानित खर्चा
1	आरोपित की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक 21.08.1991 से दिनांक 29.07.2021 तक मिले वेतन, भत्तो में से एलआईसी,	3820385